

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/मंडी कार्मिक/अ-1/12-13/180/1975

भोपाल, दिनांक 01-08-2012

//आदेश//

राज्य मंडी बोर्ड सेवा के निम्नलिखित लेखापालों को समान पद एवं वेतनमान में अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन पदस्थापना स्थल (कॉलम कमांक-5) पर स्थानांतरित किया जाता है:-

क्र०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी	प्रति० लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० मंदसौर	क०उ०म०स० खाचरोद	प्रशासनिक आधार पर
2	श्री संतोष कुमार खरे	लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० भोपाल	क०उ०म०स० हरपालपुर	स्वयं के व्यय पर
3	श्री जगजीत तिग्गा	लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० नीमच	क०उ०म०स० भोपाल	स्वयं के व्यय पर
4	श्री नरेन्द्र उबनारे	लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० टिमरनी	क०उ०म०स० बैतूल	स्वयं के व्यय पर
5	श्री बालकिशन टोकसिया	लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० खिरकिया	क०उ०म०स० नरसिंहगढ	प्रशासनिक आधार पर
6	श्री हरीश कुमार वशिष्ठ	लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० आष्टा	क०उ०म०स० मंदसौर	स्वयं के व्यय पर
7	श्री चतर्भुज शर्मा	लेखापाल प्रथम	क०उ०म०स० देवास	क०उ०म०स० नीमच	प्रशासनिक आधार पर
8	श्री मोहन लाल पुरोहित	लेखापाल द्वितीय	क०उ०म०स० खाचरौद	क०उ०म०स० उज्जैन	प्रशासनिक आधार पर
9	श्री ओकार सिंह दांगी	लेखापाल द्वितीय	क०उ०म०स० गैरतगंज	क०उ०म०स० आष्टा	प्रशासनिक आधार पर
10	श्री रामसिंह धाकड	लेखापाल तृतीय	क०उ०म०स० राहतगढ	क०उ०म०स० बेराड	स्वयं के व्यय पर
11	श्री श्याम लाल अग्रवाल	लेखापाल तृतीय	क०उ०म०स० नसरुल्लागंज	क०उ०म०स० खिरकिया	स्वयं के व्यय पर
12	श्री भागीरथ यादव	लेखापाल तृतीय	क०उ०म०स० खरगोन	क०उ०म०स० सनावद	प्रशासनिक आधार पर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

(दीपक देशपाण्डे)


अपर संचालक(कार्मिक)

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

कमांक / मंडी कार्मिक / अ-1 / 12-13 / 180 / 1976 भोपाल, दिनांक 01-08-2012
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- विशेष सहायक मान. मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह-अध्यक्ष मण्डी बोर्ड।
- 2- निज सचिव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय।
- 3- संयुक्त संचालक / उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा।
लेखापालों के उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण आदेश जारी किये गये हैं इस संबंध में संबंधित से पुष्टि करने के उपरांत भारमुक्ति की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।
- 4- भारसाधक अधिकारी, / सचिव कृषि उपज मंडी समिति जिला..
.....। कृपया संबंधित की भारमुक्ति / उपस्थिति की सूचना से मुख्यालय को 07 दिवस की समय सीमा में अवगत कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा स्वमेव भारमुक्त समझा जावेगा। साथ ही यदि कोई लेखापाल जिनका स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है। वह यह कहता है कि उसके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण नहीं चाहा गया है तो उस लेखापाल को भारमुक्त नहीं करते हुये मुख्यालय को अवगत करावे।
- 5- श्री लेखापाल कृषि उपज मंडी समिति.....
जिला..... की ओर पालनार्थ।
- 6- आदेश नस्ती / व्यक्तिगत नस्ती / जनसम्पर्क शाखा / कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय भोपाल।


अपर संचालक (कार्मिक)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल